2013:सीजीएचसी:1896

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

विविध अपील (सिविल) क्रमांक : 815/2011

अपीलार्थी : कमला देवी

प्रत्यर्थी क्रमांक 1

बनाम

प्रत्यर्थीगण : नोनी बाई एवं अन्य

दावेदारगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील

अधिवक्ताओं की उपस्थिति:

श्री एन.के. व्यास, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

श्री मनोज जायसवाल, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 की ओर से कोई नहीं।

श्री राज अवस्थी, प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

(08.11.2013)

1. यह मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत वाहन स्वामी की वह अपील है, जो प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायगढ़ (संक्षेप में 'अधिकरण')

द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 5/2011 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 02.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा दावा अधिकरण ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'एम.वी. एक्ट') की धारा 166 के तहत दायर दावेदारों के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:—

2.1 प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2/दावेदारगण—जो मृतक अंजोर सिंह मोराव की अभागी विधवा और पुत्र हैं, उन्होंने 08.03.1980 को हुई मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 166 के तहत 23.2.2007 को दावा याचिका दायर की और दावा याचिका दायर करने की तिथि से इसके वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 13,30,000/- रुपये की मांग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.2 अपीलार्थी/वाहन स्वामी ने दावा अधिकरण के समक्ष अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिवचन किया गया कि दिनांक 23.2.2007 को जिस रूप में आवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, वह परिसीमा द्वारा वर्जित है। इसके अतिरिक्त यह भी अभिवचन किया गया कि चूंकि दुर्घटना की तिथि पर दुर्घटनाकारित वाहन प्रत्यर्थी क्रमांक 5/बीमा कंपनी के पास बीमाकृत था, इसलिए प्रतिकर (यदि कोई हो) के भुगतान के लिए प्रत्यर्थी क्रमांक 5/बीमा कंपनी उत्तरदायी है।

2.3 प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 अधिकरण के समक्ष एकपक्षीय रहे, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 4/बीमा कंपनी ने लिखित कथन प्रस्तुत कर दावा याचिका का विरोध किया और यह पक्ष रखा कि दुर्घटनाकारित वाहन के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने के लिए वैध और प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी, साथ ही दुर्घटना की तिथि पर वाहन

बीमाकृत भी नहीं था; अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 4/बीमा कंपनी प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

2.4 अधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि: मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है; दुर्घटना, पंजीकरण क्रमांक एम पी टी/8976 वाले ट्रक के चालक द्वारा उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी; अंजोर सिंह मोराव की मृत्यु उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी; प्रत्यर्थी क्रमांक 5/बीमा कंपनी को दावेदारों को प्रतिकर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया; और अपीलार्थियों/दावेदारों को वाहन स्वामी/अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त राशि का प्रतिकर के रूप में निर्धारण कर अधिनिर्णय पारित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. व्यास ने निवेदन किया कि दावेदारों द्वारा श्री अंजोर सिंह मोराव की मृत्यु के लिए प्रतिकर का दावा करते हुए दायर की गई दावा याचिका, जिनकी मृत्यु 8.3.1980 को एक वाहन दुर्घटना में हुई थी, उस समय मोटर यान अधिनियम, 1939 लागू था जिसमें प्रतिकर के लिए आवेदन दायर करने की परिसीमा अवधि प्रारंभ में छह महीने थी, जिसे उपयुक्त मामलों में पर्याप्त कारण बताए जाने पर विलंब को क्षमा करते हुए एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि 8.3.1980 को हुई मृत्यु के लिए 23.2.2007 को दायर की गई दावा याचिका, यानी 27 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद, पूरी तरह से परिसीमा द्वारा वर्जित है और इसलिए, अधिकरण ने उक्त दावा याचिका को विचारार्थ स्वीकार करके एक गंभीर विधिक त्रुटि की है। उन्होंने आगे यह

भी निवेदन किया कि कि प्रत्यर्थी क्रमांक 5/बीमा कंपनी ने विद्वान दावा अधिकरण के आदेश के बावजूद बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 5/बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जायसवाल एवं श्री अवस्थी ने आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन किया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय न्यायसंगत एवं उचित है और प्रतिकर का दावा करने वाले आवेदन को दावा अधिकरण द्वारा सही ढंग से स्वीकार एवं अनुमत किया गया है।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनमें प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों का सूक्ष्म अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों के तथ्यात्मक एवं विधिक तर्कों के आलोक में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:

(1) क्या दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित यह तथ्यात्मक निष्कर्ष कि दावा याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है, न्यायसंगत एवं उचित है?

(2) क्या अपने आदेश के बावजूद बीमा पॉलिसी प्रस्तुत न किए जाने पर प्रतिकूल निष्कर्ष न निकालने में दावा अधिकरण न्यायोचित है?

<u>बिंदु क्रमांक 1 का उत्तर</u>

7. अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए तर्कों का उत्तर देने हेतु मोटर यान अधिनियम में हुए विधायी परिवर्तनों का त्वरित अवलोकन करना लाभप्रद होगा।

(7.1) पुराने मोटर यान अधिनियम, 1939 (संक्षेप में '1939 का अधिनियम') की धारा 110-क की उप-धारा (3) में निम्नानुसार प्रावधान था: —

"110-क. (3) ऐसे प्रतिकर के लिए कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह दुर्घटना होने के छह महीने के भीतर न किया गया हो: बशर्ते कि, यदि दावा अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक पर्याप्त कारणवश समय पर आवेदन करने से वंचित रह गया था, तो अधिकरण छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी आवेदन स्वीकार कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7.2) 1939 का अधिनियम 1.7.1989 से निरसित कर दिया गया था। नए अधिनियम में निर्धारित परिसीमा अवधि धारा 166 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदान की गई है। यह इस प्रकार है:

"166. (3) ऐसे प्रतिकर के लिए कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह दुर्घटना होने के छह महीने के भीतर न किया गया हो। बशर्ते कि, यदि दावा अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक पर्याप्त कारणवश समय पर आवेदन करने से वंचित रह गया था, तो अधिकरण छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन बारह महीने से अधिक नहीं होने पर आवेदन स्वीकार कर सकता है।"

(7.3) अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (3) को 1994 के अधिनियम 54 द्वारा 14.11.1994 से लोपित कर दिया गया था। मोटर यान (संशोधन)

अधिनियम, 1994 के अधिनियम 54 का परिणाम यह है कि 14.11.1994 से किसी भी दुर्घटना के संबंध में अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है।

8. वर्तमान प्रकरण में, दावा याचिका 23.2.2007 को दायर की गई थी जो निर्विवाद रूप से 14.11.1994 के बाद की तिथि है, अतः मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा 3 के विलोपन के कारण 23.2.2007 को अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है।

9. उच्चतम न्यायालय ने धन्नालाल बनाम डी.पी. विजयवर्गीय एवं अन्य, प्रकाशित इन (1996) 4 एससीसी 652 के मामले में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166(3) के विलोपन के कारणों पर विचार किया था, और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि 14.11.1994 से प्रभावी रूप से किसी भी दुर्घटना के संबंध में अधिकरण के समक्ष दावे दायर करने के लिए परिसीमा की कोई अवधि नहीं है, निम्नानुसार निर्णय दिया:—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (3) के दायरे का परीक्षण करने से पूर्व, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 166 की उपरोक्त उप-धारा (3) को मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 53 द्वारा लोपित कर दिया गया है, जो 14.11.1994 से प्रभावी हुआ। इस संशोधन अधिनियम का प्रभाव यह है कि 14.11.1994 से किसी भी दुर्घटना के संबंध में अधिकरण के समक्ष दावे दायर करने के लिए कोई परिसीमा नहीं है। यह कहा जा सकता है कि संसद ने उस गंभीर अन्याय और क्षति को महसूस किया जो दुर्घटनाओं में मरने वाले पीड़ितों के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को केवल परिसीमा के आधार पर उनकी दावा याचिकाओं को खारिज करके पहुंचाई जा रही थी। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि ऐसे प्रतिकर के अधिकांश दावेदार उस अवधि के बारे में अनभिज्ञ होते हैं जिसके दौरान ऐसे दावे

प्रस्तुत किए जाने चाहिए। परिवार के कमाऊ सदस्य की दुर्घटना के कारण मृत्यु के बाद, कई मामलों में ऐसे दावेदार वास्तव में सड़कों पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ पीड़ित मृत्यु से बच जाते हैं, उनमें से कुछ पीड़ित महीनों, यदि वर्षों नहीं, तो अस्पताल में भर्ती रहते हैं। वर्तमान मामले में ही आवेदक का दावा है कि वह 4.12.1990 को दुर्घटना का शिकार हुआ था और 27-9-1991 तक उसका अंतःरोगी के रूप में उपचार चल रहा था। हमारे अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता में संसद ने सही सोचा कि परिसीमा की अवधि निर्धारित करना और अधिकरण की शक्ति को दुर्घटना की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद किसी भी दावा याचिका पर विचार करने से रोकना कठोर, अनुचित था और कई मामलों में दावेदारों के प्रति अन्याय का कारण बनने की संभावना थी। वर्तमान मामला एक ज्वलंत उदाहरण है जहाँ अपीलार्थी को दावा याचिका प्रस्तुत करने में केवल चार दिनों के विलंब के कारण उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस पृष्ठभूमि में, अब यह परीक्षण किया जाना है कि अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (3) के लोपन का क्या प्रभाव है। संशोधन अधिनियम से यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त उप-धारा (3) को भूतलक्षी प्रभाव से हटाया गया है। किंतु साथ ही, संशोधन अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि धारा 166 की उप-धारा (3) के लोपन का लाभ उन लंबित दावा याचिकाओं को नहीं दिया जाना चाहिए जहाँ परिसीमा का तर्क उठाया गया है। अधिनियम की धारा 166 से उप-धारा (3) के विलोपन के प्रभाव का परीक्षण एक उदाहरण द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए कि 14-11-1994, जब धारा 166 से उप-धारा (3) को लोपित किया गया था, उससे दो वर्ष पूर्व कोई दुर्घटना हुई थी। किसी न किसी कारणवश पीड़ित या पीड़ित के उत्तराधिकारियों द्वारा 14-11-1994 तक कोई दावा याचिका दायर नहीं की गई थी। क्या ऐसी दुर्घटना के संबंध में 14-11-1994 के बाद दावा याचिका दायर नहीं की जा सकती? क्या 14-11-1994 के बाद दायर की गई दावा याचिका को अधिकरण द्वारा

परिसीमा के आधार पर यह कहते हुए खारिज किया जा सकता है कि धारा 166 की उप-धारा (3) के लागू रहने के दौरान निर्धारित बारह महीने की अवधि समाप्त हो जाने के कारण, दावा याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो गया था और 14-11-1994 से धारा 166 की उप-धारा (3) के लोपन के बाद इसे पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा? हमारे अनुसार, इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। जब धारा 166 की उप-धारा (3) को लोपित कर दिया गया है, तो अधिकरण को दुर्घटना होने की तिथि पर विचार किए बिना दावा याचिका स्वीकार करनी होगी। दावा याचिकाओं को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि ऐसी दावा याचिकाएँ उस समय समय-वर्जित थीं जब धारा 166 की उप-धारा (3) लागू थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उच्चतम न्यायालय ने पुनः **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सी. पद्मा**[1], इन के मामले में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 (3) के विलोपन के प्रभाव पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

"10. जब दावा याचिका दायर की गई थी, तब धारा 166 की उप-धारा (3) को लोपित किया जा चुका था। अतः, अधिकरण दुर्घटना होने की तिथि पर विचार किए बिना दावा याचिका स्वीकार करने के लिए बाध्य था। इस स्थिति का सामना करते हुए, श्री कपूर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि धन्नालाल बनाम डी.पी. विजयवर्गीय[2] के मामले में साधारण खंड अधिनियम की धारा 6-क पर विचार नहीं किया गया है और इसलिए, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। साधारण खंड अधिनियम की धारा 6-क, निस्संदेह, यह प्रावधान करती है कि किसी प्रावधान के निरसन से उस अधिनियम की निरंतरता प्रभावित नहीं होगी जिसे निरसित किया गया है और जो निरसन के समय प्रवर्तन में था। हालाँकि, यह "जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रकट न हो" के अधीन है। धन्नालाल के मामले (उपरोक्त) में धारा 166

[1] (2003) 7 एससीसी 713
[2] (1996) 4 एससीसी 652

की उप-धारा (3) के विलोपन का कारण स्पष्ट किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि संसद ने दुर्घटना पीड़ितों के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को होने वाले उस गंभीर अन्याय और क्षति को महसूस किया जो केवल परिसीमा के आधार पर दावा याचिका खारिज होने से होती थी। अतः, "भिन्न आशय" स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और साधारण खंड अधिनियम की धारा 6-क लागू नहीं होगी।"

(12) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि चूँकि विधायिका द्वारा परिसीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 का सहारा लिया जा सकता है, अन्यथा, उनके अनुसार, पुराने दावों को बढ़ावा मिलेगा जिससे परिसीमा अवधि निर्धारित न होने के कारण मुकदमों की बहुलता बढ़ेगी। हम एक से अधिक कारणों से अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। प्रथम दृष्टया, मोटर यान अधिनियम जैसा अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है जिसका उद्देश्य पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत प्रदान करना है, यदि दावा वास्तविक पाया जाता है। द्वितीयतः, यह एक स्वतः पूर्ण अधिनियम है जो आवेदन दायर करने के तरीके, पालन की जाने वाली प्रक्रिया और पारित किए जाने वाले अधिनिर्णय को निर्धारित करता है। संसद ने अपनी बुद्धिमत्ता में, उन पीड़ितों के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को होने वाले गंभीर अन्याय और क्षति को महसूस किया, जो दुर्घटनाओं में शारीरिक चोटें सहते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यदि उनकी दावा याचिकाओं को परिसीमा के आधार पर शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाता है, और जानबूझकर धारा 166 की उप-धारा (3) को लोपित कर दिया, जिसने दावा याचिकाएं दायर करने के लिए परिसीमा की अवधि प्रदान की थी। चूँकि विधायिका का आशय मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों और परिवारों को परिसीमा की तकनीकी बाधाओं से मुक्त प्रभावी राहत देना है, अतः परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 का सहारा लेना विधायिका के आशय को विफल कर देगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अतः, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि जिस रूप में दावा आवेदन तैयार और प्रस्तुत किया गया था, वह 1939 के अधिनियम के तहत परिसीमा द्वारा वर्जित था, कानूनन पोषणीय नहीं है, क्योंकि इस तथ्य को देखते हुए कि 14.11.1994 से प्रभावी रूप से, विधायिका द्वारा दावा याचिका दायर करने की परिसीमा अवधि को सचेत रूप से लोपित कर दिया गया है। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया यह तर्क कि दावेदारों द्वारा 27 वर्षों के बाद दायर किया गया आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था, खारिज किए जाने योग्य है।

12. अतः, वर्तमान मामले में, दावा याचिका दायर करने का वाद-कारण 8.3.1980 को उत्पन्न हुआ था जब 1939 का अधिनियम प्रवर्तन में था क्योंकि उक्त दुर्घटना में श्री अंजोर सिंह मोराव की मृत्यु हुई थी, और दावा याचिका 23.2.2007 को दायर की गई थी अर्थात् 1988 के नए अधिनियम के लागू होने के 27 वर्ष बीत जाने के बाद, तथा 14-11-1994 से प्रभावी रूप से अधिनियम की धारा 166(3) के विलोपन के बाद, इसे परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है और दावा अधिकरण उक्त याचिका को स्वीकार करने एवं उसे अनुमत करने में न्यायोचित है। श्री व्यास द्वारा उठाया गया प्रथम तर्क सारहीन है और तदनुसार उसका उत्तर दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिंदु क्रमांक 2 का उत्तर

13. स्वीकार्य रूप से, दावा अधिकरण ने दिनांक 7.12.2009 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 5/बीमा कंपनी को प्रश्नाधीन वाहन की बीमा पॉलिसी शपथ पत्र पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, किंतु प्रत्यर्थी क्रमांक 5/बीमा कंपनी द्वारा उक्त पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई। विचारण के दौरान इसके साक्षी श्री इंद्रजीत सिंह कालरा, (अनावेदक साक्षी-3) शाखा प्रबंधक, बीमा कंपनी ने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया कि चूंकि अपीलार्थी/स्वामी कमला देवी के नाम पर ऐसी कोई पॉलिसी जारी नहीं की गई थी, इसलिए बीमा कंपनी के पास उक्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, बीमा कंपनी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है और अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि न तो अपीलार्थी कमला देवी के पक्ष में ऐसी कोई पॉलिसी जारी की गई थी और न ही वह

उसके कब्जे में है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि बीमा पॉलिसी प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी के पास सुरक्षित थी और उसने न्यायालय के आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए जानबूझकर एवं स्वेच्छा से पॉलिसी को अपने पास रोके रखा। विचारण के दौरान भी अपीलार्थी यह सिद्ध करने में विफल रही है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 5/बीमा कंपनी के पास ऐसी पॉलिसी की अभिरक्षा थी; अतः प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार, प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष न निकालने में दावा अधिकरण पूर्णतः न्यायोचित था।

14. उपरोक्त कारणों के आधार पर, यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

15. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
संजय के.अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI